न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 59 / 2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. नपसा राव पुत्र चैनजी राव मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार, मानासर चौराहा नागौर (मालिक) 2. जेठूसिंह पुत्र रामसिंह निवासी शेरगढ़ जिला जोधपुर (मैनेजर)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल।
2. अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक –03-2-2020

1. प्रार्थी द्वारा घरेलू रसाई गैस के व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर में की गई कार्यवाही के दौरान मैसर्स गोकुल मिस्ठान भण्डार मानासर चौराहा में जब्त किये गये 2(दो) एच.पी.सी. गैस कम्पनी एवं 1(एक) आई.ओ.सी गैस कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डरों कुल 3(तीन) धरेलू गैस सिलेण्डरों को समपहरण (Confiscate) करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या–1 का नोटिस पर अप्रार्थी संख्या–1 ने रिपोर्ट की है कि मै नपसाराव इस दुकान का मालिक नहीं हूँ। मुझे इस दुकान के मालिक का कोई पता नहीं है तथा नहीं मैनें कभी इस दुकान पर काम किया है। अप्रार्थी संख्या–2 को नोटिस जारी किये गये, परन्तु नोटिस तामील नहीं होने की सूरत में प्रार्थी को अप्रार्थी का सही पता पेश करने का निर्देश दिया गया परन्तु प्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 का सही पता पेश नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 07.10.2019 को अप्रार्थी संख्या–2 की तलबी बंद कर दी गई।
2. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी की एकतरफा बहस सुनी गई। श्री बेनीवाल ने बहस कथन किया कि घरेलू रसोई गैस के व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर में की गई कार्यवाही के दौरान दिनांक 26.05.2014 को श्री कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी हमराह श्री भींवराज वरिष्ठ लिपिक जिला रसद कार्यालय, नागौर एवं ओमप्रकाश सहायक कर्मचारी जिला रसद कार्यालय नागौर द्वारा मानासर चौराहा स्थित मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार की आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। वक्त

जांच मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार, मानासर चौराहा नागौर में जेठुसिंह उपस्थित मिले जिन्होने उक्त प्रतिष्ठान श्री नपसा राव का होना बताया तथा स्वयं को मैनेजर का कार्य करना बताया। उपस्थित श्री जेठूसिंह ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण करवाया। वक्त जांच मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. का एस. आर. नं. 56328 रेग्युलरेटर पोईप के माध्यम से गैस भट्टी से जोड़ा हुआ पाया गया जिस पर नमकीन बनाने का कार्य किया जा रहा था। होटल मालिक से घरेलू गैस सिलेण्डरों से चाय, खाना, नमकीन एवं मिठाई बनाकर ग्राहको को विक्रय किये जाने का कार्य किया जाता है। होटल मालिक से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग के बारे में कागजात एवं लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो नहीं होना बताया। वक्त जांच मौके पर दो गैस सिलेण्डर प्रतिष्ठान में रखे हुए पाये गये।

2(1)–वक्त जांच मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार, मानासर चौराहा नागौर में अवैध रुप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग पाया गया जिनकी गैस कम्पनी एवं सीरियल नम्बर इस प्रकार हैः–एच.पी.सी.–56328, एच.पी.सी. –409015–ई तथा आई.ओ.सी. (सीरियल नम्बर स्पष्ट नहीं)।

2(2)–इस प्रकार मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार, मानासर चौराहा नागौर में अवैध रुप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरो का भण्डारण कर व्यवसायिक दुरुपयोग करना, "लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन) आर्डर,–2000 के खण्ड 3(1) (b) (c), 4(1) (b) (c), 2 खण्ड, 6, खण्ड 7 (1) (a) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955" की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः मौके पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 3 में अंकित 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर मैसर्स नागौर गैस सर्विस, नागौर के मैनेजर श्री आनन्दकुमार अग्रवाल की सुपुर्दगी में देने का कथन करते हुए उक्त सीज सुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए. मे समपहरण (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3. प्रार्थी की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा घरेलू रसोई गैस के व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम बाबत कार्यवाही में वक्त जॉच मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार मानासर चौराहा नागौर के यहां मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. का एस.आर. नं. 56328 रेग्युलरेटर पोईप के माध्यम से गैस भट्टी से जोड़ा हुआ पाया गया जिस पर नमकीन बनाने का कार्य किया जा रहा था। होटल मालिक से घरेलू गैस सिलेण्डरों से चाय, खाना, नमकीन एवं मिठाई बनाकर ग्राहको को विक्रय किये जाने का कार्य किया जाता है। होटल मालिक से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग के बारे में कागजात एवं लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो

कलक्टर, नागौर

नहीं होना बताया। वक्त जांच मौके पर दो गैस सिलेण्डर प्रतिष्ठान में रखे हुए पाये गये। इस प्रकार वक्त जॉच कुल तीन घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. –56328, एच.पी.सी.–409015–ई तथा आई.ओ.सी. (सीरियल नम्बर स्पष्ट नहीं) का मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार, मानासर चौराहा नागौर में अवैध रुप से व्यवसायिक दुरुपयोग पाया गया। हस्तगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार जो तीन घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के जो प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये है, उनका दावा करने हेतु अप्रार्थीगण न्यायालय उपस्थित नहीं हुऐ है। अप्रार्थी संख्या–1 को प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मैसर्स गोकुल मिष्ठान भण्डार मानासर चौराहा का मालिक बताया है, वही अप्रार्थी संख्या 1 नपसाराम को तलबी हेतु जारी नोटिस पर नपसाराव की रिपोर्ट अनुसार वह इस दुकान का मालिक नहीं है तथा उसे दुकान के मालिका का कोई पता नहीं होना तथा उसके द्वारा कभी उस दुकान पर काम नहीं करना बताया है। अप्रार्थी संख्या 2 जेठूसिंह की तलबी हेतु अप्रार्थी संख्या 2 जेठूसिंह का सही पता प्रस्तुत करने का दायित्व प्रार्थी का था, परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 जेठूसिंह का सही पता प्रार्थी को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 जेठूसिंह का सही पता प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिससे अप्रार्थी संख्या–2 जेठूसिंह की तलबी बंद कर दी गई है। चूँकि हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा उक्त तीनों घरेलू गैस सिलेण्डरों पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जब्त सुदा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी.–56328, एच.पी.सी.–409015–ई तथा आई.ओ.सी. (सीरियल नम्बर स्पष्ट नहीं) मय गैस के में समपहरण (Confiscate) किया जाता है तथा जब्तशुदा उक्त गैस सिलेण्डर मय गैस को नियमानुसार कीमतन निस्तारण कर, प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराने के आदेश जिला रसद अधिकारी नागौर को दिये जाते है। उक्त निस्तारण पर प्राप्त राशि राजकीय घोषित की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5. निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: